

## डाकघर अधिनियम 2023

### प्रलिस के लयः

[डाकघर अधिनयऱ, 1898](#), [सारवजनकऱ वयवसुथऱ](#), [आपातकऱल](#), [सारवजनकऱ सुरकषऱ](#), [भू-राजसव](#), [वाक](#) और [अभवयऱकतऱ कऱ सवतंतरतऱ](#), [नजऱतऱ कऱ अधकऱर](#) ।

### मेन्स के लयः

डाकघर अधिनयऱ, 2023 कऱ महतुत्व और इसकऱ कऱयऱँ ।

[सुरतः पी.आई.बी.](#)

## चरुचऱ में कऱयँ?

हऱल ही में [भऱरतऱय डऱकघर अधऱनयऱ, 1898](#) कऱ नरऱसुत करतऱ हुऱ [डऱकघर अधऱनयऱ 2023](#) लऱगू हुऱऱ ।

## डऱकघर अधऱनयऱ 2023 कऱ मुखऱ वशऱषतऱएँ कऱयँ हँ?

- **वसुतुओं कऱ अवरोधन और नरऱधः**
  - **धऱरऱ 9:** यह प्रऱवधऱन केंद्र कऱ कऱसऱ भी अधकऱरऱ कऱ **रऱजऱ सुरकषऱ**, **वदऱशऱ संबध** आदऱ से संबधतऱ कऱरणों से कऱसऱ भी डऱक वसुतु कऱ रऱकने यऱ रऱकने के लयऱ अधकृत करने कऱ अनुमतऱ देतऱ हऱ ।
  - जऱन वसुतुओं में प्रतबऱधतऱ सऱमऱन होने कऱ संदेह हऱ यऱ जऱन पर सऱमऱ शुलक लऱगने कऱ संदेह हऱ, उनहूँ सऱमऱ **शुलक प्रऱधकऱरऱयऱँ** कऱ सऱँपऱ जऱ सकतऱ हऱ ।
- **दऱयतऱव से छुटः**
  - **धऱरऱ 10:** डऱकघर और उसके अधकऱरऱयऱँ कऱ **सेवऱएँ प्रदऱन करने के दऱरऱन हऱनऱ**, गलत वतऱरण, देरऱ यऱ कषतऱ के लयऱ देयतऱ से छुट दी गई हऱ, सवऱय जऱसऱ कऱ नरऱधऱरतऱ कऱयऱ गयऱ हऱ ।
- **दंड और अपरऱधों कऱ उनमूलन:** नऱयऱ अधऱनयऱ 1898 के अधऱनयऱ में उल्लखऱतऱ सभऱ **दंड और अपरऱधों** कऱ सऱपऱत कर देतऱ हऱ, जऱनऱमें डऱक अधकऱरऱयऱँ दऱवऱरऱ कदऱचऱर, धऱखऱधडऱ तथऱ चऱरी से संबधतऱ दंड एवऱ अपरऱध भी शऱमलऱ हँ ।
  - इसमें **भुगतऱन न कऱयऱ गऱएँ सेवऱ शुलक** कऱ भू-रऱजसव के बकऱयऱ के रूऱ में वसूलने कऱ प्रऱवधऱन शऱमलऱ हऱ ।
- **धऱरऱ 7 के अंतरगत जुरमऱनऱ:** प्रतऱयऱक वऱकतऱ जऱ **डऱकघर दऱवऱरऱ प्रदऱन कऱ गई सेवऱ** कऱ लऱभ उठऱतऱ हऱ, उसऱ ऐसऱ सेवऱ के संबध में शुलक कऱ भुगतऱन करनऱ हऱगऱ ।
- **केंद्र कऱ वशऱषऱतऱ कऱ हटऱनऱ:** नऱयऱ अधऱनयऱ पतुरों कऱ **पहुँचऱने के लयऱ** केंद्र के वशऱषऱधकऱरऱ कऱ हटऱ देतऱ हऱ, यह वशऱषऱधकऱरऱ 1980 के दशक में नजऱी कूरऱयऱर सेवऱओं के उदऱय के कऱरण प्रऱभऱवी रूऱ से अपरुचलतऱ हऱ गयऱ थऱ ।
  - यह अधऱनयऱ **अब सऱपऱट रूऱ से नजऱी कूरऱयऱर सेवऱओं** कऱ अपने वनऱयऱमक दऱयरे में लऱतऱ हऱ तथऱ सरकऱर कऱ वशऱषऱतऱ कऱ हऱनऱ कऱ मऱनऱयतऱ देतऱ हऱ और सऱथ ही केवल पतुरों कऱ ही नहऱँ, बलुक कऱसऱ भी डऱक सऱमगुरऱ कऱ बंद एवऱ रऱकने के दऱयरे कऱ वसुतऱर करतऱ हऱ ।
- **डऱक सेवऱ महऱनदऱशकः** नऱयऱ अधऱनयऱ डऱक सेवऱ के महऱनदऱशक कऱ **वभऱनऱन अतरऱकऱत सेवऱएँ प्रदऱन करने के लयऱ ऱवऱशऱक गतवऱधऱयऱँ से संबधतऱ वनऱयऱम बनऱने के लयऱ अधकृत** करतऱ हऱ, जऱसऱ कऱ केंद्र सरकऱर दऱवऱरऱ नरऱधऱरतऱ कऱयऱ जऱ सकतऱ हऱ, सऱथ ही इन सेवऱओं हेतु शुलक नरऱधऱरतऱ करने के लयऱ भी अधकृत करतऱ हऱ ।
  - यह वधऱयक डऱकघरों दऱवऱरऱ प्रदऱन कऱ जऱने वऱली कऱसऱ भी सेवऱ के लयऱ नरऱधऱरतऱ शुलक में संशऱधन करतऱ सऱमऱ संसदऱयऱ अनुमऱदन कऱ ऱवऱशऱकतऱ कऱ सऱपऱत कर देतऱ हऱ ।
- **पहचऱनकरुततऱ एवऱ पोसुट कऱडः** अधऱनयऱ कऱ धऱरऱ 5(1) में कऱहऱ गयऱ हऱ कऱ **“केंद्र सरकऱर वसुतुओं पर पते, पतऱ पहचऱनकरुततऱ एवऱ पोसुट कऱड के उऱपऱयऱ के लयऱ मऱनक नरऱधऱरतऱ कर सकतऱ हऱ”** ।
  - यह प्रऱवधऱन **एक दूरदरुशऱ अवधऱरणऱ** हऱ और सऱथ ही कऱसऱ परसऱर कऱ सऱटऱक पहचऱन के लयऱ भऱगऱलकऱ नरऱदेशऱंक के ऱधऱरऱ पर भऱतकऱ पते कऱ डजऱटऱल कऱड से परवऱरुततऱ कर देगऱ ।

## भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898

- यह भारत में डाकघरों से संबंधित कानून को समेकित एवं संशोधित करने के उद्देश्य से **1 जुलाई 1898** को लागू हुआ।
- यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली **डाक सेवाओं के वनियमन का प्रावधान** करता है।
- यह केंद्र सरकार को पत्रों के संप्रेषण पर विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है और साथ ही पत्रों के संप्रेषण पर केंद्र सरकार का एकाधिकार स्थापित करता है।

## डाकघर अधिनियम 2023 में क्या मुद्दे हैं?

- **डाक सेवाओं का वनियमन कूरियर सेवाओं से भिन्नताएँ:** **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** भारतीय डाक द्वारा सेवाओं पर लागू नहीं होता है, लेकिन यह नज्जि कूरियर सेवाओं पर लागू होता है। डाकघर अधिनियम, 2023 जो वर्ष **1898 के अधिनियम को प्रतस्थापित** करने का प्रयास कर रहा है, वह इन प्रावधानों को बनाए रखता है।
- **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अभाव से मूल अधिकारों का उल्लंघन:** वधियक में डाक वस्तुओं के अंतरोधन के वरिद्ध कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नरिदष्टि नहीं किया गया है। इससे **नजिता के अधिकार** और **वाक् एवं अभवियकृत सिवातंत्र्य** के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
  - दूरसंचार के अंतरोधन के मामले में **१११११११ १११११११ ११११ १११११११ ११११११११११ (PUCL) १११११ १११११ १११११ (1996)** मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने अभनिरिधारति किया कि अंतरोधन की शक्ती को वनियमति करने के लिये एक उचित एवं सम्यक प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिये।
  - अन्यथा **अनुच्छेद 19(1)(a)** (वाक् एवं अभवियकृत सिवातंत्र्य) और **अनुच्छेद 21** (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के एक भाग के रूप में नजिता का अधिकार) के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना संभव नहीं होगा।
- **'आपातकाल' का आधार उचित प्रतबंधों से परे है:** 1898 अधिनियम की ही तरह, वर्तमान अधिनियम में आपातकाल को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
- **सेवाओं में चूक की दशा में दायतिव से छूट:** अधिनियम के तहत प्रदत्त रूपरेखा रेलवे के मामले में लागू कानून के वपिरीत है, जसिमैरेलवे दावा **अधिकरण अधिनियम, 1987** के माध्यम से माल की हानि, कषती, डलीवरी न होने और करिया वापसी जैसी शकियातों का समाधान किया जाता है।
- **सभी अपराधों और दंडों को हटाना:** वर्ष 1898 के अधिनियम के तहत, डाक अधिकारी द्वारा डाक वस्तुओं को अवैध रूप से खोलना दो वर्ष तक की कैद, जुमाना या दोनों से दंडनीय था। इसके वपिरीत, वर्ष 2023 के अधिनियम के तहत ऐसे कृत्यों के वरिद्ध कोई दंड नहीं होगा। इससे व्यक्तियों की नजिता के अधिकार पर प्रतकिल प्रभाव पड़ सकता है।

## आगे की राह

- **सुदृढ़ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल किया जाना:** इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रेषित वस्तुओं के अवरोधन के लिये स्पष्ट और व्यापक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय लागू किये जाने की आवश्यकता है।
  - इसमें वाक् एवं अभवियकृत की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की नजिता के अधिकार की रक्षा के लिये **नरीक्षण तंत्र, न्यायिक वारंट** तथा संवैधानिक सिद्धांतों का पालन शामिल होना चाहिये।
- **अवरोधन के आधार को परिभाषित करना:** अवरोधन के आधारों को **परिष्कृत और स्पष्ट** रूप से परिभाषित करें, विशेष रूप से 'आपातकाल' शब्द को, ताकि सुनिश्चित हो कि यह संविधान के तहत युक्तियुक्त नरिबंधों के साथ संरेखित हो।
  - **१११११ १११११११११११ १११ १११११११११, ११११११११११ १११ १११११ १११११ ११११११ १११११, 2005** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि **जब गोपनीय दस्तावेज़ बैंक को दिये जाते हैं या व्यक्तगित सामान डाकघर को दिये जाते हैं तो नजिता का अधिकार** बरकरार रहता है तथा किसी भी तलाशी एवं ज़बती के लिये लिखित कारणों की आवश्यकता होती है।
- **संतुलित दायतिव ढाँचा:** डाकघर की स्वतंत्रता और कार्यकुशलता को खतरे में डाले बिना उत्तरदायतिव के लिये स्पष्ट नियम नरिधारति करके उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना।
  - सक्षम प्राधिकारियों को 'सद्भावना' खंड के बिना अवरोधन शक्तियों के किसी भी जानबूझकर दुरुपयोग के लिये जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये।
- **अनधिकृत उद्घाटन को संबोधित करना:** उपभोक्ता गोपनीयता की रक्षा के लिये डाक को अनाधिकृत रूप से खोलने पर डाक अधिकारियों को दंडित करने तथा कदाचार, धोखाधड़ी और चोरी के लिये व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराने के लिये कानून बनाना।

### दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. डाकघर अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन के संदर्भ में गोपनीयता की चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

प्रश्न. भारत के उच्चतम न्यायालय ने नजिता के अधिकार को भारत के संविधान के नमिनलखिति में से कसि अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? (2024)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 16
- (c) अनुच्छेद 19
- (d) अनुच्छेद 21

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/post-office-act-2023>

